भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5455
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वयं सहायता समूहों को सहायता

5455. श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांवों और शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों(एसएचजी) को खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना, खजुराहो शहर और कच्छ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग(एफपीआई) के क्षेत्र में सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना(पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य पार्कों, कोल्ड चेन परियोजनाओं और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की स्थापना के लिए कोई सहायता प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो खजुराहो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कटनी, पन्ना, खजुराहो शहर और कच्छ संसदीय क्षेत्र के जिलों में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्थापित खाद्य पार्कों, कोल्ड चेन परियोजनाओं और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी योजनाओं के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत , मंत्रालय एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी के लिए अनुदान प्रदान करता है। व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की एकल इकाई के रूप में 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। एसएचजी केंद्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की प्रासंगिक घटक योजनाओं के तहत सहायता के लिए भी पात्र हैं।

खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के कटनी, पन्ना कस्बे और कच्छ संसदीय क्षेत्र में पीएमएफएमई योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभिक पूंजी के लिए समर्थित स्वयं सहायता समूहों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है ।

(ग) से (ङ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेल्ला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" की प्रासंगिक घटक योजनाओं के अंतर्गत अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) के माध्यम से मेगा फूड पार्कों (एमएफपी) और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों (एपीसी) तथा एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन) की स्थापना को प्रोत्साहित करता है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत की 35% की दर से सब्सिडी के लिए पात्र हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमोटरों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और एसएचजी के लिए पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से सब्सिडी के लिए पात्र हैं, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये के अध्यधीन है । ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं। परियोजनाओं को समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के आधार पर सहायता के लिए चुना जाता है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खजुराहों के कटनी, पन्ना कस्बे और कच्छ संसदीय क्षेत्र में स्थित अनुमोदित एमएफपी, एपीसी और कोल्ड चेन परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध- I

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वयं सहायता समूहों को सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5455 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के कटनी, पन्ना कस्बे और कच्छ संसदीय क्षेत्र में पीएमएफएमई योजनाओं के तहत प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या

क्र.सं.	ज़िला	प्रारंभिक पूंजी के लिए सहायता प्राप्त सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	
		अनुमोदित एसएचजी सदस्यों	एसएचजी स्वीकृत राशि (करोड़ रुपए में)
खजुराहो संसदीय क्षेत्र			
1	कटनी	96	0.20
2	पन्ना	2643	8.95
कच्छ संसदीय क्षेत्र			
3	कच्छ	355	1.35
4	मोरबी	165	0.51

दिनांक 03 अप्रैल, 2025 को उत्तर हेतु "खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वयं सहायता समूहों को सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †5455 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमकेएसवाई की घटक योजना के अंतर्गत प्रारंभ से खजुराहो संसदीय क्षेत्र में खजुराहो के कटनी, पन्ना कस्बे और कच्छ संसदीय क्षेत्र में स्थित स्वीकृत एमएफपी, एपीसी और कोल्ड चेन परियोजनाओं का विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	ज़िला	अनुमोदन का दिनांक	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)
घटक योजना-- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना					
1	मेसर्स फनवेव फूड्स एलएलपी	मोरबी	23.11.2020	30.90	9.80
2	मेसर्स बिज़ कॉर्पोरेशन	मोरबी	31.03.2021	43.20	10.00
घटक योजना--कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना योजना					
3	मेसर्स पटेल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	कच्छ	07.02.2019	13.7	4.36

*****